भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3821

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

***

योजनाओं का पुन: नामकरण

3821. श्री नकुल के. नाथ:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से जिन सरकारी योजनाओं का नाम बदला गया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2014 से इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक मानदंडों को मजबूत करने के लिए, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, ड्रेनेज विकास, समुद्र-रोधी कटाव आदि से संबंधित कार्यों हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार ने XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) और ''नदी प्रबंधन गतिविधियॉ और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य (आरएमबीए)'' को कार्यान्वित किया जिन्हें बाद में विलय कर दिया गया और वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि के लिए ''बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्रों के कार्यक्रम'' (एफबीएपी) के घटक के रूप में जारी रखा गया एवं उन्हें सितंबर 2022 तक आगे बढ़ा दिया गया। वर्ष 2014 से आवंटित निधि/जारी की गई केन्द्रीय सहायता 3,507.01 करोड रूपए है।

*****